

राजस्थान सरकार  
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग


क्रमांक प. 17(1)शिक्षा-1/विविध/2017

जयपुर, दिनांक : 14/03/2019

परिपत्र

प्रायः अधिकांश कार्यक्रमों में यह परम्परा देखने में आई है कि विद्यालयों एवं अन्य स्थानों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि या अन्य अतिथियों के स्वागत के लिए छात्र/छात्राओं को कार्यक्रम स्थल पर दोनों तरफ कतार में खड़ा करके अतिथियों पर फूल बरसवाये जाते हैं, जो कि उचित नहीं है।

अतः निर्देशानुसार भविष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में छात्र/छात्राओं से कार्यक्रम स्थल पर अतिथियों पर फूल नहीं बरसवाये जाने को सुनिश्चित किया जावे।


  
(प्रदीप गोयल)  
14/03/2019

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
4. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर
5. निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को भेजकर लेख है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उपरोक्त के संबंध में निर्देशित करने का श्रम करावें।
6. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं अति. आयुक्त, राज0 स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर
7. शासन उप सचिव, प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना)/ प्रारंभिक शिक्षा/शिक्षा (ग्रुप-2)/ शिक्षा (ग्रुप-5)/ शिक्षा (ग्रुप-6)/ विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

[www.rajteachers.com](http://www.rajteachers.com)

  
(डॉ. रणवीर सिंह)  
विशेषाधिकारी-शिक्षा